भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 323
बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>गुजरात में बायोगैस संयंत्र की स्थापना</u>

*323. श्री हरीभाई पटेलः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेषतः गुजरात और मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में और बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रदान की गई वित्तीय सहायता पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) गुजरात के प्रत्येक गांव, विशेषतः मेहसाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

'गुजरात में बायोगैस संयंत्र की स्थापना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 323 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) भारत सरकार, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों सहित, देश में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है।

(i) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) के दो विभिन्न घटकों अर्थात् बायोगैस और अपशिष्ट से ऊर्जा के अंतर्गत लघु, मध्यम और बड़े आकार के संयंत्रों की स्थापना में सहायता करता है। एनबीपी के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों के लिए प्रदान की जा रही केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ii) जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभागः स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) योजना के अंतर्गत गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-रिसोर्सेज धन (गोबरधन) की शुरुआत की गई, ताकि पशु अपशिष्ट, रसोई की बची हुई सामग्रियों आदि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को बायोगैस और जैविक खाद में परिवर्तित करके गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। एसबीएम-जी के चरण-II के अंतर्गत गोबरधन के तहत सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक की संपूर्ण कार्यक्रम अवधि के लिए प्रति जिला 50.00 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है; और

(iii) ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की धारा 4(3), पैरा 4(1), II श्रेणीः ख (सामुदायिक परिसंपत्ति या व्यक्तिगत परिसंपत्ति) की अनुसूची-I के तहत कमजोर वर्गों के व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए बायोगैस संयंत्रों के निर्माण और समुदाय के लिए बायोगैस संयंत्र के निर्माण हेतु अकुशल मजदूरी घटक में सहयोग कर रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान उपरोक्त योजनाओं के लिए बजट आवंटन का विवरण निम्नानुसार हैः-

योजना का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित बजट
राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम	(i) बायोगैस कार्यक्रम: (मध्यम और लघु आकार) – 95.00 करोड़ रु.; और (ii) जैव-विद्युत (ऑफ-ग्रिड): जिनमें अपशिष्ट से ऊर्जा (बड़े आकार के बायोगैस संयंत्र) और बायोमास घटक – 182.79 करोड़ रु. शामिल है।
गोबरधन	पिछले तीन वर्षों के दौरान एसबीएम (जी) चरण-II के अंतर्गत 11,640.35 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया गया है। एसबीएम-जी के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र गोबरधन सहित विभिन्न घटकों के लिए वास्तविक/वित्तीय लक्ष्यों के साथ अपनी वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) प्रस्तुत करते हैं। समेकित निधि अलग-अलग घटकों के लिए नहीं अपितु अनुमोदित एआईपी के लिए जारी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी अनुमोदित कार्य योजनाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न घटकों के लिए निधियों का उपयोग करने की छूट है।
मनरेगा	मनरेगा एक मांग आधारित योजना है, इसलिए, लघु बायोगैस संयंत्रों के निर्माण सहित किसी भी विशेष कार्य के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

(ग) और (घ): एनबीपी के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रदान किए जा रहे सीएफए को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त फीडबैक और एमएनआरई द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययनों की सिफारिशों के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया गया है। कुछ राज्य बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए अतिरिक्त योगदान देते हैं ताकि उन्हें बायोगैस उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक किफायती बनाया जा सके।

(ङ) मेहसाणा संसदीय क्षेत्र सहित गुजरात राज्य में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए एनबीपी के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों में अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) एनबीपी के तहत, गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 1887 लघु बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। गुजरात राज्य में बायोगैस कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियों के वार्षिक आवंटन का विवरण निम्नानुसार हैः-

बायोगैस कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम	वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25	
	लक्ष्य (संपूर्ण भारत)	उपलब्धि (गुजरात में)	लक्ष्य (संपूर्ण भारत)	उपलब्धि (गुजरात में)	लक्ष्य (संपूर्ण भारत)	उपलब्धि (गुजरात में)
अमूल डेयरी, आणंद	कोई आवंटन नहीं	-	5000	0	450	101
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), मुंबई	2500	224	1600	102	1050	0
राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मृदा, आणंद	900	0	8200	972	2405	481
बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर	कोई आवंटन नहीं	-	230	7	740	0
कुल	3400	224	15030	1081	4645	582

(ii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पंजीकृत गौशालाओं/आश्रयों के लाभार्थियों के लिए उच्च सीएफए का प्रावधान;

(iii) बायोगैस स्लरी फिल्टर इकाइयों और सैनीटरी शौचालय से जुड़े लघु बायोगैस संयंत्र के लिए अतिरिक्त सीएफए का प्रावधान;

(iv) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि मेहसाणा संसदीय क्षेत्र में पिछले वित्त वर्षों में कुल 200 व्यक्तिगत बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(v) वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत कुल 1516 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं; और

(vi) एसबीएम (जी) के अंतर्गत कुल 33 क्लस्टर आधारित बायोगैस संयंत्र निर्मित किए गए हैं, जिसमें से एक गुजरात के मेहसाणा जिले में है।

<u>अनुलग्नक</u>

'गुजरात में बायोगैस संयंत्र की स्थापना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 323 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(i) राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) के अंतर्गत लघु आकार के बायोगैस संयंत्रों (1 से 25 घन मीटर प्रति दिन बायोगैस उत्पादन) के लिए प्रदान किए जा रहे सीएफए का विवरण

क्र.सं.	केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, क्षेत्रों एवं लाभार्थियों की श्रेणियों का विवरण	लघु आकार के बायोगैस संयंत्र (प्रति संयंत्र सीएफए रु. में)					
क.	लागू सीएफए	1 घन मी.	2-4 घन मी.	5-7 घन मी.	8-13 घन मी.	14-19 घन मी.	20-25 घन मी.
	(i) पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्य (अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड) (ii) द्वीप समूह; और (iii) अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)।	17,000	22,000	29,250	34,500	63,250	70,400
	(iv) अन्य सभी राज्य और श्रेणी	9,800	14,350	22,750	23,000	37,950	52,800

(ii) मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्रों के लिए सीएफए (25 घन मीटर से 2500 घन मीटर प्रतिदिन बायोगैस उत्पादन)

विद्युत उत्पादन क्षमता (किलोवाट)	सीएफए** निम्नलिखित अधिकतम सीमा तक सीमित		पीआईए* के लिए प्रशासनिक शुल्क	
	विद्युत उत्पादन	तापीय अनुप्रयोग	विद्युत उत्पादन	तापीय अनुप्रयोग
3 किलोवाट – 50 किलोवाट	45,000 रु. प्रति किलोवाट	22,500 रु. प्रति किलोवाट किलोवाट समतुल्य तापीय/कूलिंग	सीएफए का 10 प्रतिशत	सीएफए का 5 प्रतिशत
>50 किलोवाट – 200 किलोवाट	40,000 रु. प्रति किलोवाट	20,000/- रु. प्रति किलोवाट समतुल्य तापीय/कूलिंग	2,00,000/- रु. (निर्धारित)	1,00,000/- रु. (निर्धारित)
>200 किलोवाट – 250 किलोवाट	35,000 रु. प्रति किलोवाट	17,500/- रु. प्रति किलोवाट समतुल्य तापीय/कूलिंग	2,50,000/- रु. (निर्धारित)	1,00,000/- रु. (निर्धारित)

**तकनीकी पर्यवेक्षण, परियोजना पूर्णता एवं कमीशनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा परियोजनाओं की निगरानी के लिए पीआईए के लिए प्रशासनिक प्रभार प्रदान किया जाएगा।*

***पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीपसमूह, पंजीकृत गौशालाओं; और एससी/एसटी के लिए विशेष प्रोत्साहन: तालिका में उल्लिखित सीएफए के अतिरिक्त 20 प्रतिशत का प्रोत्साहन*

(iii) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत बड़े आकार के बायोगैस संयंत्रों के लिए सीएफए (2500 घन मीटर से अधिक बायोगैस उत्पादन प्रतिदिन)

परियोजनाओं का प्रकार	सीएफए करोड़ रु. में
बायोगैस उत्पादन	0.25 करोड़ रुपए प्रति 12000 घन मीटर/दिन (अधिकतम सीएफए 5.0 करोड़ रुपए प्रति परियोजना)
बायोसीएनजी उत्पादन	- 4.0 करोड़ रुपए प्रति 4800 कि.ग्रा/दिन (नए बायोगैस संयंत्र से बायोसीएनजी उत्पादन के लिए) - 3.0 करोड़ रुपए प्रति 4800 कि.ग्रा/दिन (मौजूदा बायोगैस संयंत्र से बायोसीएनजी उत्पादन के लिए) - दोनों मामलों के लिए अधिकतम सीएफए 10.0 करोड़ रुपए प्रति परियोजना
बायोगैस पर आधारित विद्युत उत्पादन	- 0.75 करोड़ रु./मेगावाट (नए बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन के लिए) - 0.5 करोड़ रु./मेगावाट (मौजूदा बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन के लिए) - दोनों मामलों के लिए अधिकतम सीएफए 5.0 करोड़ रुपए प्रति परियोजना

*****